

**कार्यालय : सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया
(समग्र प्रमंडल कार्यालय परिसर, गया)**

ज्ञापक - 425

गया, दिनांक - 12.09.18

प्रेषित,

प्रो० नागेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
मेसर्स रवि मेडिकल हॉल,
गोला बाजार, शेरघाटी, गया।

विषय- आपके प्रतिष्ठान में व्याप्त अनियमितताओं के आलोक में अनुज्ञप्तियों के निलंबन के संबंध में।

संदर्भ- औषधि निरीक्षक, शेरघाटी अनुमंडल, गया का पत्रांक 173, दिनांक 18.09.17 एवं इस कार्यालय का स्पष्टीकरण ज्ञापक 739, दिनांक 12.10.2017, स्मार ज्ञापक 829, दिनांक 11.11.17 एवं अंतिम स्मार ज्ञापक 265, दिनांक 23.08.18।

उपरोक्त विषयक, दिनांक 15.09.17 को औषधि निरीक्षक, शेरघाटी अनुमंडल, गया के द्वारा आपके प्रतिष्ठान के निरीक्षण के क्रम में पाई गई अनियमितताओं के आलोक में इस कार्यालय के स्पष्टीकरण ज्ञापक 739, दिनांक 12.10.2017 के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण एवं वांछित अभिलेखों की मांग की गई थी। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा न तो स्पष्टीकरण एवं न ही वांछित अभिलेख अधोदरताक्षरी पत्राचार में समर्पित किया गया, तब इस कार्यालय के स्मार ज्ञापक 829, दिनांक 11.11.17 से आपको स्मरित करते हुए स्पष्टीकरण एवं वांछित अभिलेख समर्पित करने का पुनः अनुरोध किया गया, इसके बावजूद आपके द्वारा वांछित अभिलेख एवं स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। फलतः इस कार्यालय के ज्ञापक 265, दिनांक 23.08.18 से अंतिम रूप से स्मरित करते हुए स्पष्टीकरण एवं वांछित अभिलेख समर्पित करने का पुनः अनुरोध किया गया, किन्तु बार-बार अनुरोध किए जाने एवं अवसर दिए जाने के बावजूद आपके द्वारा न तो स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और न ही वांछित अभिलेख। आपका उपरोक्त कृत्य न सिर्फ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्राक्कानों का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि औषधि नियमों के प्रति आपकी जागरूकता एवं निष्ठा को भी दर्शाता है।

अतएव, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 66(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति संख्या Gaja32/2004-प्रपत्र 20 एवं Gaja32A/2004-प्रपत्र 21, निर्गत तिथि 10.11.2004 को पत्र प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में औषधियों का क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण किया जाना अवैध है एवं निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान खुला पाये जाने अथवा क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण करते हुए जाने पर संस्थान की अनुज्ञप्तियों को रद्द करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निदेश दिया जाता है कि निलंबन अवधि में अपने प्रतिष्ठान के सुयोग्य व्यक्ति को सभी मूल वांछित कागजातों एवं आधार कार्ड के साथ कार्यालय में सदैव प्रस्तुत करें।


12.09.18

सहायक औषधि नियंत्रक
औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया